

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-990/1/सा.प्र.वि./विविध/2025/676

भिलाई, दिनांक 30/5/25

आदेश

छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक/एफ 4-17/2017/18/दिनांक 14 नवम्बर 2017 के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रं./एफ 7-1/2017/1-3 दिनांक 25.04.2017 एवं दिनांक 17.07.2017 के परिपालन में 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों के अभिलेखों की छानबीन निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रिया के अन्तर्गत विचार कर उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर विचार करने हेतु समिति का गठन किया गया है।

अतः नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1408 भिलाई दिनांक 03.01.2024 के द्वारा गठित समिति संशोधित करते हुए छ.ग. शासन के आदेश दिनांक 14.11.2017 के संदर्भ में पुनः समिति का गठन किया जाता है :-

1. पदेन आयुक्त — अध्यक्ष
2. निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी—श्री नरेन्द्र कुमार बंजारे, — सदस्य
उपायुक्त
3. पदेन संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय — सदस्य
कार्यालय, दुर्ग

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ-990/1/सा.प्र.वि./विविध/2025/678
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 30/5/25

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास (छ.ग.) दुर्ग को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता 1 एवं 2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. श्री नरेन्द्र कुमार बंजारे, उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त जोन क्रं. 1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

क्रमशः.....